भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1040

08 दिसम्बर, 2023 को उत्तर के लिए

भूतपूर्व सैनिकों की विधवाएं

1040. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं की रैंक-वार और राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को दी जाने वाली मासिक सहायता में नियमित रूप से संशोधन करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने सशस्त्र सेनाओं में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं / परिवारों के लिए वर्तमान में किए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी उपायों की समीक्षा की है / करने का विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं / रक्षा कार्मिकों के परिवार को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर अनुकम्पा के माध्यम से कोई रोजगार प्रदान किया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) देश में भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं के राज्यवार डेटा अनुबंध-I के रूप में हैं ।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों की विधवाएं परिवार पेंशन के लिए हकदार हैं जिसे एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) के अन्तर्गत प्रत्येक पांच वर्ष के बाद संशोधित किया जाता है । परिवार पेंशन महंगाई राहत से भी सम्बद्ध होती है जिसे प्रत्येक छह माह के बाद संशोधित किया जाता है ।

(ग) सरकार सशस्त्र सेनाओं के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं / परिवारों को प्रदान किए गए विभिन्न कल्याणकारी उपायों की समय-समय पर समीक्षा करती है । ऐसे कल्याणकारी उपाय जिन्हें हाल में संशोधित किया गया है , की सूची अनुबंध-II में दी गई है ।

(घ) और (ड.) जी, हां । युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं / परिवारों को रोजगार योजनाओं के माध्यम से अनुकंपा नियुक्ति द्वारा रोजगार प्रदान किया जाता है । अनुकंपा नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए हैं । उक्त योजना के अन्तर्गत अन्य के साथ-साथ युद्ध में शहीद/ सैनिकों की विधवाओं / शहीदों के बच्चों / आश्रितों पर भी मौजूदा नियमों के अनुसार विचार किया जाता है । वर्ष 2022 के दौरान मृतक रक्षा कार्मिकों की 32 विधवाओं / परिवारिक सदस्यों को अनुकंपा नियुक्तियां प्रदान की गई हैं ।

'भूतपूर्व सैनिकों की विधवाएं' के बारे में लोक सभा में 08 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 1040 के भाग 'क' के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार भूतपूर्व सैनिकों की विधवाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत विधवाओं की संख्या			
		सेना	नौसेना	वायु सेना	कुल
1	आन्ध्र प्रदेश	23,587	877	1,388	25,852
2	अरूणाचल प्रदेश	226	0	0	226
3	असम	8,543	66	557	9,166
4	बिहार	10,469	541	778	11,788
5	छत्तीसगढ़	1,433	35	75	1,543
6	दिल्ली	10,362	1,262	2,405	14,029
7	गोवा	267	156	54	477
8	गुजरात	4,376	90	583	5,049
9	हरियाणा	47,224	3,620	2,702	53,546
10	हिमाचल प्रदेश	38,490	508	369	39,367
11	जम्मू एवं कश्मीर	21,638	53	199	21,890
12	झारखंड	4,364	227	210	4,801
13	कर्नाटक	26,526	716	2,498	29,740
14	केरल	58,617	2,843	8,047	69,507
15	मध्य प्रदेश	11,244	238	428	11,910
16	महाराष्ट्र	60,994	1,559	2447	65,000
17	मणिपुर	2,077	26	10	2,113
18	मेघालय	1,361	34	45	1,440
19	मिजोरम	2,658	16	25	2,699
20	नागालैंड	937	0	2	939
21	ओडिसा	4,036	156	317	4,509
22	पंजाब	60,261	4,236	9,756	74,253
23	राजस्थान	43,394	498	773	44,665
24	सिक्किम	412	3	1	416
25	तमिलनाडु	54,520	1,012	3,332	58,864
26	त्रिपुरा	660	18	27	705
27	तेलंगाना	5,710	207	1,155	7,072

28	उत्तराखण्ड	48087	397	440	48,924
29	उत्तर प्रदेश	59,053	4,634	5,128	68,815
30	पश्चिम बंगाल	12052	617	1,710	14,379
31	अंडमान एवं निकोबार	171	17	4	192
32	चंडीगढ़	1870	84	686	2,640
33	पुद्दुचेरी	740	24	79	843
34	लद्दाख	889	0	4	893
	कुल	**6,27,248**	**24,770**	**46,234**	**6,98,252**

'भूतपूर्व सैनिकों की विधवाएं' के बारे में लोक सभा में 08 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 1040 के भाग 'ग' के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्र.सं.	योजना	पहले की राशि	गत संशोधित राशि	गत संशोधन की तारीख
1.	सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण निधि से प्रदत्त अनुग्रह हताहत (घातक) (क) घातक (ख) 60 प्रतिशत और इससे अधिक दिव्यांगता (ग) दिव्यांगता के कारण अयोग्य पाए गए (घ) 60 प्रतिशत से कम दिव्यांगता	2 लाख रु. 2 लाख रु. 2 लाख रु. 1 लाख रु.	8 लाख रु. 8 लाख रु. 8 लाख रु. 4 लाख रु.	06 मई. 2020
2.	पूर्णरूप से दिव्यांग बच्चों के लिए अनुदान	1000/- रु. प्रति माह	3000/- प्रति माह	09.07.2021
3.	अनाथ के लिए अनुदान	1000/- रु. प्रतिमाह	3000/- रु. प्रतिमाह	29.07.2022
4.	चिकित्सा अनुदान	30,000/-रु. प्रति वर्ष	50,000/-रु. प्रति वर्ष	11 अगस्त, 2023
5.	गंभीर रोग अनुदान	1,25,000/-रु. प्रति वर्ष	1,50,000/-रु. प्रति वर्ष	
6.	व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान	20,000/-रु. एकमुश्त भुगतान	50,000/-रु. एकमुश्त भुगतान	
7.	किताबों/लेखन सामग्री की लागत	1000/- रु. प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी	2000/- रु. प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी	इन भत्तों में प्रत्येक वेतन आयोग में संशोधन किए जाते हैं और पिछला संशोधन 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी हुआ
8.	यूनिफार्म की लागत	1700/- रु. (पहले वर्ष के दौरान और बाद के वर्षों के लिए 700/- रु.)	2000/- रु. प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी	

9.	क्लोदिंग/वस्त्र	500/- रु. (पहले वर्ष के दौरान और बाद के वर्षों के लिए 300/- रु.)	700 रु. प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी	था । महंगई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर इन भत्तों में प्रत्येक बार 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी ।

****